

४४५.

बी अधीक्षा एवं उत्तीर्णी।
उप समिति,
उत्तर प्रदेश राज्य।

भाग २.

ऐन्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
ग्रामीण २ अनुदान ऐन्ट्रीय उत्तर प्रदेश
नेट फिल्मों।

फ़िल्म १७। अनुदान

मुख्य दिनांक: ७ फ़िव़री, १९९३

विषय:- ऐन्ट्रीय डॉमेनिक एन्ट्रीय उत्तर प्रदेश राज्यालय, सुधारा तौरपीछतांश्च नई फिल्मों ते तम्ही
क्षु प्राप्तिग्रामीण उत्तर प्रदेश वासिनी हा सम्बन्ध मध्ये।

मोटी

उपर्युक्त विषयवाच पर मुळे एड कॉन्सो का निटेश द्वारा हो कि ऐन्ट्रीय डॉमेनिक एन्ट्रीय
उत्तर प्रदेश राज्यालय, सुधारा को तौरपीछतांश्च नई फिल्मों ते तम्हीता प्राप्तान विषय वासी मध्ये
आ राज्य उत्तरप्रदेश को निन्मलिखित प्रतिक्रियां के अधीन आवश्यक नव्ही है :-

- १- विद्यालय द्वारा वैज्ञानिक तौरपीछतांश्च विषयवाच पर नवीनीकरण करावा
वायेगा।
- २- विद्यालय द्वारा प्रदेश विभाग में विधा निटेश द्वारा वासी मध्य एक संघ
दोषा।
- ३- विद्यालय मध्ये कम से कम द्वा इतिहास स्थान अनुदृश्यतवाचात्प्राप्त अनुदृश्यत
अवासीत के वर्ष्यों के लिए उपर्युक्त रूपी और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा परिषद् द्वारा तौरपीछतांश्च विद्यालयों में विभिन्न व्याख्यांशों के लिए
निर्धारित दृष्टिकोण ते उपर्युक्त दृष्टिकोण नव्ही लिया वायेगा।
- ४- तैत्था द्वारा राज्य सरकार ते विधा अनुदान दी मार्ग नव्ही की जायेग
और प्रदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ते डॉमेनिक शिक्षा
परिषद् ते मान्यता प्राप्त हो तथा विद्यालय दी मान्यता ऐन्ट्रीय एवं
माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौलित फार दि ईडिपन एवं तदींसिले
इत्यामिसेशन नई फिल्मों ते प्राप्ता दीती है तो उस परीक्षा परिषद् ते
मान्यता प्राप्त होने की लिये हो परिषद् ते मान्यता तथा राज्य सरकार
हो अनुदान इस्तेमाल को जायेगी।
- ५- तैत्था ईडिपन द्वारा विद्यालय दी राज्यीय सहायता प्राप्त
शिक्षण तैत्थावर्षों के क्षेत्रावर्षों दी अनुमत्य देत्तमानवों तथा प्रथम महारावों
कम प्रेत्तमान तथा प्रथम महारावों नव्ही दिये वायेगे।
- ६- क्षेत्रावर्षों दी तैत्था वर्ष विद्यालय वायेगी और उन्हीं सहायता प्राप्त
शिक्षालीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यारिष्यों दी अनुमत्य
नियुक्ति का तर्म उपर्युक्त दराहे जायेगे।

- 7- राज्य सरकार द्वारा तम्भ बद्द जो मेरी जिम्मेदारी के लिए होता उनका प्राप्तन होगा ।
- 8- पिंडियालय वा रिकार्ड निधारित प्रधान/जिकार्ड में इस जागा
- 9- उनके ग्राहकों में राज्य सरकार के पूर्णानुकूल के लिए जोई जाता है तो उनके लिए यह एवं विषयक नहीं लिया जायेगा ।
- 2- प्रतिक्रिया यह भी होगा कि होता द्वारा व्यापक अधिकारों को उनके लिए उनका प्राप्तन को तुष्टिया लिया जायेगा ।
- 3- उनका प्रतिक्रिया इस प्राप्तन करना होता है कि होता द्वारा उनका प्रतिक्रिया लिया जा रहा है तब यह प्राप्तन करने में किसी प्रकार भी दूँक या शिक्षण नहीं जा सकता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पर उनके लिए बाधिता ।

भवदीप,

उच्चोक मान्यता
उप लिपि ।

पुस्तक ५३६९/११/१५-७-१९९३ द्वारा दिया

प्रतिलिपि निभलिहा की तुफार्थ सर्व प्रावश्यक लार्याही है ऐसी

- 1- लिहा निर्देशक, उत्तर प्रदेश लक्ष्मण ।
 2- कालीय उव लिहा निर्देशक, भागदा ।
 3- किंता पिंडियालय निर्देशक, मथुरा ।
 4- निर्देशक, आगरा भावतीय पिंडियालय उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण ।
 5- प्रबन्धक, लेन्ट डोमनिक लूल, तटर बालार, मथुरा ।

आठ रे,

उच्चोक मान्यता
उप लिपि ।